न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 69 /2022

बाबुलाल कालिन्द्री वगैरह बनाम रेखा देवी वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
09-06-2022	प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी राहे ओ.पी. के अप्राथमिकी संख्या– 05/22 दिनांक 26/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या–209 एवं प्लॉट संख्या–399 एवं 394 रकबा–32 डी. के कारण विवाद है जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 25-06-2022 को उपस्थापित करें। 09/06 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू।	

अनुसूची 14 — फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563

आदेश की क्रमांक/तिथि Order No./Date.	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश पर की गई कार्रवाई Action taken on order with date
	03,04,05 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष दिनांक 12-12-2022 को गवाही रखें। कार्य० द०डा० कुण्डु	
12-12-2022	प्रथम पक्ष क्रम सं०-02 गवाही तपन महतो के साथ हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०-01 हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। पीठासीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 26-12-2022 को रखें। ह०-	
26-12-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द०प्र०सं० की धारा- 116(6) के अनुसार धारा-107 की कालावधि छः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा छः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों में शांति बने रहने तथा थाना द्वारा निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त के दशा में, वाद की कार्यवाही, किसी प्रकार के प्रतिकूल टिप्पणी के प्राप्त न होने की दशा में समाप्त किया जाता है, इस संबंध में संबंधित [illegible] को सूचित करें। 26/12/22 कार्य० द०डा० कुण्डु	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 16:44:48 +05:30
Location: 10.93.79.5